सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं :. NCST/DEV-4201/JH/275/2025-RO-RNC/RU-IV दिनांक : 06.11.2025

सेवा मे,

1 **सचिव,**
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा,
जिला रांची -, झारखंड 834002
Email Id: cf-wpranchi@gov.in

2 **उपायुक्त,**
जिला - हजारीबाग,
नवाबगंज,
झारखंड 825301
Email Id: dc-haz@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत, पिता - श्री राजेश कुमार, ग्राम - बड़कागांव, जिला-हज़ारीबाग़ (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " कोयला खनन परियोजना के लिए FOREST CLEARANCE लेने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गलत फर्जी तरीके से ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने" के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

प्रवीण 6.11.25

प्रवीण कुमार सिंह
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत,
पिता श्री राजेश -कुमार,
ग्राम -बड़कागांव ,
जिला(झारखंड) हज़ारीबाग़ - 825311,
mantusoni8@gmail.com Mobile No:9504268699

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल नं . :   NCST/DEV-4201/JH/275/2025-RO-RNC/RU-IV

अभ्यावेदक श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत, पिता - श्री राजेश कुमार, ग्राम - बड़कागांव, जिला- हज़ारीबाग़ (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन कोयला खनन परियोजना के लिए FOREST CLEARANCE लेने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत फर्जी तरीके से ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ली मे हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग का समय एवं तिथि: 08.10.2025 at 01:50 PM,
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। अनुसार।

अभ्यावेदक श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत, पिता - श्री राजेश कुमार, ग्राम - बड़कागांव, जिला- हज़ारीबाग़ (झारखंड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है कि एनटीपीसी द्वारा पंकरी बरवाडीह और पंकरी बरवाडीह उत्तर-पश्चिम कोल खनन परियोजना हेतु फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने ले लिए जिला प्रशासन और वन विभाग की मिलीभगत से वन अधिकार अधिनियम 2006 की अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करने के लिए गलत फर्जी तरीके से ग्राम सहमति व वनाधिकार प्रमाण पत्र हासिल कर पंकरी वरवाडीह उत्तर-पश्चिम कोल परियोजना के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने का प्रयास कर रही है और पंकरी वरवाडीह कोल परियोजना का फॉरेस्ट क्लियरेंस ले चुकी है एवं वनाधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) एवं 4(5) का उल्लंघन कर खनन कार्य कर रही है । अभ्यावेदक ने आयोग से अनुसूचित जनजाति व वन्य परंपरागत वनवासी के अधिकारों के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रक्रिया के पालन के लिए फर्जी तरीके गलत प्रक्रिया कर दस्तावेज/प्रमाणपत्र बनाने वाले दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर उनका फॉरेस्ट क्लियरेंस रद्द करने का अनुरोध किया है ।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के किए सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ,झारखंड सरकार एवम् उपायुक्त, जिला - हजारीबाग को दिनांक 18/03/2025 को नोटिस भेजा गया था। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, सीवान से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

3. प्रकरण के संबंध में उपायुक्त, जिला - हजारीबाग से प्रतिवेदन पत्रांक 982/सा. दिनांक 05.05.2025 प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों एवं सूचनाओं के संबंध में उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों से प्रतिवेदन मांगा गया था। इस क्रम में पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग, जिला कल्याण पदाधिकारी हजारीबाग तथा अंचल अधिकारी बड़कागाँव और केरेडारी से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी केरेडारी द्वारा पत्रांक 200 दिनांक 22.03.2025, अंचल अधिकारी बड़कागाँव द्वारा दिनांक 28.03.2025 तथा पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 26.03.2025 को प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2018 में पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक के अंतर्गत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि हेतु ग्राम बेलतू, सिरमा, बसरिया, नवाडीह एवं इतिज में ग्राम सभाओं की तिथि निर्धारित कर

आशा लकड़ा

आयोजन किया गया तथा उसके प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों को अग्रसारित किए गए। पुनः वर्ष 2023 में सम्बंधित ग्रामों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभाएँ करायी गईं। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक 1661 दिनांक 26.03.2025) में बताया गया है कि कोयला खनन परियोजना हेतु फ़ॉरेस्ट क्लियरेंस के संदर्भ में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा की प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुरूप संपन्न की गई। जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्तिगत या सामुदायिक वनाधिकार दावा लंबित नहीं है तथा प्रक्रिया के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि शिकायतकर्ता स्वयं दावेदार हैं या किसी लंबित दावे की जानकारी रखते हैं, तो वे वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ग्राम सभा से संबन्धित विषय पर अभ्यावेदक द्वारा माननीय NGT EZ में OA 182/2016 के माध्यम से Case दायर किया गया था जिस Case को माननीय NGT ने निरस्त करते हुए आदेश पारित किया गया है । इससे संबंधित एक और PIL (WPC 3614/2023) माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में दायर किया गया था । जिसे माननीय उच्च द्वारा आदेश दिनांक 03.03.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है |

4. आयोग द्वारा मामले में दिनांक 08.10.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई तदनुसार सम्बंधित अधिकारियों को समन जारी किए गए ।

5. उपायुक्त, हज़ारीबाग ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु अधिकृत किया। इसी प्रकार, सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार ने हज़ारीबाग पश्चिमी वन प्रखंड के वन प्रमंडल पदाधिकारी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया। अधिकृत अधिकारीगण तथा आवेदक, दोनों ही सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।

6. मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

i. सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने इस संबंध में कोई प्रमाण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि इस प्रकरण में अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रभावित है। अतः मामले में आयोग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है |

आशा लकड़ा
31/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet

National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-4201/JH/275/2025-RO-RNC/RU-IV

Sitting to be held on **08.10.2025 at 01.50 P.M**- अभ्यावेदक **श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत**, पिता - श्री राजेश कुमार, ग्राम - बड़कागांव, जिला- हज़ारीबाग़ (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " कोयला खनन परियोजना के लिए FOREST CLEARANCE लेने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गलत फर्जी तरीके से ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने" के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Secretary, Department of Forests, Environment and Climate Change, Govt. of Jharkhand**		
1.	Maum Prakash, IFS	8630068462	Maum
2.	~~Raj Kishore Prasad~~	~~7970607849~~	Raj 8/10/2025
3.			
III	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Hazaribagh, Jharkhand**		
1.	Raj Kishore Prasad	7970607849	Raj 8/10/2025
2.			
3			
IV	**Petitioners**		
	मन्टु सोनी उर्फ शनि कांत	9574268699	[illegible]